संख्या-9/2016/40/सत्तर-2-2016-16(645)/2011

प्रेषक,

गोविन्द राजू एन.एस.
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग- 02

लखनऊ दिनांक 01 जून, 2016

विषय- वेतन समिति, 2008 के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- डिग्री अर्थ-1/7269/2015-16, दिनांक 04-01-2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2008 के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के सम्बन्ध में प्राप्त संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-665(1)/दस-54(एम)/2008 टीसी, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व व्यवस्था में संशोधन करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

(1) अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लेखा के पदों के एकल स्वरूप को देखते हुए इन महाविद्यालयों के लेखाकार-अ श्रेणी, लेखाकार-ब श्रेणी तथा सहायक लेखाकार के एकल पदों को जो वर्तमान में वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- में है, के तीनों श्रेणी के पदों का पदनाम एक समान सहायक लेखाकार किया जाता है।

(2) वर्तमान में सहायक लेखाकार पदनाम से उपलब्ध पदों पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पदधारकों को लेखाकार वेतन बैण्ड- 2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- के पद पर पद सहित इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से उच्चीकृत किया जायेगा। किसी भी कारण से पद रिक्त होने पर लेखाकार का यह पद अपने मूल पद सहायक लेखाकार में परिवर्तित हो जायेगा और सीधी भर्ती सहायक लेखाकार के पद पर होगी।

(3) उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) भविष्य में चयन हेतु सहायक लेखाकार की अर्हता राजकीय विभागों में सहायक लेखाकार के समान निर्धारित होगी ।

(5) उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-11-746/दस-16, दिनांक 17 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(गोविन्द राजू एन.एस.)
विशेष सचिव।

संख्या-9/2016/40(1)/सत्तर-2-2016- तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक/ वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0 ।
4- समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
5- उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/बजट-2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 ध्रुव पाल)
अनुसचिव।

सत्यापित

//shasanadesh.up.nic.in